Part XV-Govt Services and Posts—Classification etc.

पत्र संख्या-न/नि-१-५०९/७३-का०-१५००

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग।

प्रेषक,

श्री विन्ध्यनाथ झा

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

बिस्कोमान भवन, पटना।

+अनौपचारिक रूप से परामर्शित। (द्वारा + वित्त विभाग)।

पटना-१५, दिनांक २८ जनवरी, १९७७।

विषय :—सचिवालय में अनुसचिवीय पदों से प्रोन्नत अवर सचिवों को १-४-७६ से २००/-रु० प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सचिवालय में अनुसचिवीय पदों से अवर सचिव के पदों पर प्रोन्नत पदाधिकारियों के दुष्कर रूप (arduous nature) के कार्यों पर पूर्णरूपेण विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने बिहार सेवा संहिता के नियम ४२ (ए) के अन्तर्गत उपर्युक्त पदाधिकारियों को उनके अपने वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त २००/-रु० (दो सौ रुपये) प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन देने की स्वीकृति दिनांक १ ली अप्रैल, १९७६ से दी है।

२—प्रोन्नत अवर सचिवगण उसी लेखा शीर्षक से अपने विशेष वेतन की निकासी करेंगे जिससे वे अपने वेतन की निकासी करते हैं। इसके लिये यदि आवश्यकता होगी तो सम्बन्धित विभाग अतिरिक्त निधि का उपबन्ध करेगा।

विश्वासभाजन,

ह०—अस्पष्ट

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं०-न/नि-१-५०९/७३ का०-१५००

पटना-१५, दिनांक २८ जनवरी, १९७७।

सचिवालय के सभी विभाग/वित्त विभाग (लेखा शाखा)/कार्मिक विभाग (लेखा शाखा) सभी प्रोन्नत अवर सचिवगण को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

ह०—अस्पष्ट

सरकार के अपर सचिव।

पत्र संख्या ३/आर०-१०१२/७६ का० १५८७

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग।

प्रेषक,

श्री सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव/विशेष सचिव।

पटना-१५, दिनांक ३१ जनवरी, ७७

विषय :—उच्चतम पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि दिनांक ७ एवं ८ मई, १९७६ को दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन में निम्नांकित निर्णय लिया गया :—

"It would be advisable to select for the top level posts only such officers as have about three years of service left, so that they are in a position to make worthwhile Contribution during their service".

२—उपरोक्त अनुशंसा पर मुख्यमंत्री का आदेश है कि :—

"Only such officers who have one year of service left should be selected for top posts. Such officers who have less than one year of service left, but are otherwise fit for top posts should be given pay of the top posts".

३—आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेश की परिधि में सचिवालय स्तर पर एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर कौन-कौन पदों को 'top post' की संज्ञा दी जानी चाहिये, इस सम्बन्ध में अपनी अनुशंसा इस विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
ह०—अस्पष्ट
सरकार के अपर सचिव।

[illegible]

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग

:— अधिसूचना :—

पटना—१५, दिनांक जून १९७७।

संख्या—जी० एस० आर० ... . /

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियम ,जहां तक कि यह राज्य से कार्य-कलाप के सम्बन्ध में नियोजित सरकारी सेवक के साथ लागू होता है, बनाते हैं।

नियम

१— राज्य में सेवाओं और पदों को नीचे अधिकथित सिद्धान्तों के आधार पर श्रेणी—I, II, III और IV में वर्गीकृत किया जायगा : -

(क) सभी राजपत्रित सेवाओं और पद, जिनका अधिकतम वेतन १४०० रु० या अधिक हो श्रेणी—१ में होंगे,

(ख) सभी राजपत्रित सेवाएं और पद, जिनका रधिकतम मासिक वेतन १४०० रु० से नीचे हो, श्रेणी—II में होगें,

(ग) सभी अराजपत्रित सेवाएं और पद, जिनका अधिकतम मासिक वेतन २०४ रु० से अधिक हो: श्रेणी—III में होगें,

कतिपय पदों, जिनका अधिकतम मासिक वेतन २०४ रु० से अधिक न हो किन्तु जो विशेष रूप से उच्चतर (सुपिरियर) पद के रूप में वर्गीकृत किये गये हों श्रेणी—III में शामिल किये जायंगे और

(घ) सभी सेवाएं और पद जिनका अधिकतम मासिक वेतन सामान्यत: २०४ रु० से अधिक न हो, श्रेणी—IV में होगें।

२ - अधिसूचना संख्या—३ / आर १-५०३४ / ५५क- १२५३६ दिनांक २२ दिसम्बर, १९५६ इसके द्वारा रद्द की जाती है।

संचिका संख्या- ३ / आर १-४०१ / ७४

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / सच्चिदानन्द सिन्हा
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या- ३ / आर १- ४०१ / ७४ का० १०७२३ / पटना- १५, दिनांक १३ जून, १९७७।

प्रतिलिपि-- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दें एवं इसकी २००० प्रतियां कार्मिक विभाग को शीघ्र भेज दें

(सच्चिदानन्द सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग

:— अधिसूचना :—

पटना- १५, दिनांक जून, १९७७।

संख्या- जी० एस० आर० जी० एस० आर० दिनांक
का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० — सच्चिदानन्द सिन्हा

सरकार के अपर सचिव।

Notification

No, GSR,

The following rules are made by the Government of Bihar, in exercise of the powers conferred by the proviso to articles 309 of the Constitution of India in so far as the said rules applies to Government servants employed in cannection with affairs of the state,

Rules

1. The services and posts in the State shall be classified into classes I, II, III, and IV on the principles laid down below:—

(a) All gazetted services and posts, the maximum pay of which is Rs.= 1, 400 or more shall be in class I,

(b) all gazetted services and posts, the maximum pay of which is below Rs. 1, 400 per month shall be in class II,

(c) all non-gazetted services and posts, the maximum pay of which exceeds Rs. 204 per month shall be in class III,

Certain posts the maximum pay of which doesnot exceed Rs. 204 per month but have specially been classed as superior shall also bei ncluded in class III; and

(d) all services and posts the maximum pay of which doesnot generally exceed Rs. 204 a month shall be in class IV.

2. Notification No. III / R1—5034 / 55 A—12536 dated the 22nd December, 1956 is hereby canceled,

(File No. III / RI—401 / 75..............)

By order of the Governor of Bihar

(S. Sinha)

Addl. Secretary to Government.

Memo No. III/AI—401/74 p. 10723 Patna- 15 Dated 13 June, 1977.

Copy forwarded to the Superintendent, Govt. press, Gulzarbagh, Patna with the request to publish it in the Bihar gazetted (Extra Ordinary, and send 2,000 copies to the personnel Department at onec.

(S sinha)

Addl Secretary to Govt.

Memo No. P 10723 Patna—15, Dated 13 June'1977.

Copy forwarded to the Accountant general, Bihar, Patna/Ranchi, / All Departments of Govt. / All heads of Deptts. / All Divisional Commissioners / All District Officers, / All subdivisional officers and personnel Deptt. (Sec. I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XII and Accounts Sec.) for informations.

Addl.. Secretary to govt.

B. N. C.